कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

दुरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर–0771–2284044 ई.मेल–dwcdraipur@gmail.com

क्र./2504/मबावि/स्था./2026–27 रायपुर, दिनांक 01/07/2026

//विज्ञापन//

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024–25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी–4/24–25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर के नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्व में संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर रायपुर एवं अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए दोनो केन्द्रो हेतु 1–1 **केन्द्र प्रशासक** का चयन किया जाना है। **इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता)** निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो/प्रदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है।

इस हेतु **दिनांक 02/07/2026 से दिनांक 16/07/2026** तक **समय प्रातः 10:00 बजे से 5:30** बजे तक **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय** कैम्पस, जिला रायपुर (छ.ग.) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है

रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या				निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन	चयन प्रकिया
		UR		योग			
1	केन्द्र प्रशासक	02		02		31450	
	कुल योग	**02**		**02**			मेरिट आधार

उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट https://raipur.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

01/07/2026

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष नम्बर–0771–2284044, ई.मेल–dwcdraipur@gmail.com

क्र./2535/मबावि/स्था. /2026–27 रायपुर, दिनांक 01 /07/2026

// विज्ञापन//

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024–25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी–4/24–25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र कमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर के नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्व में संचालित ''सखी'' वन स्टॉप सेंटर रायपुर एवं अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए दोनो केन्द्रो हेतु 1–1 केन्द्र प्रशासक का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो/प्रदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है।

इस हेतु **दिनांक 02/07/2026 से दिनांक 16/07/2026 तक समय प्रातः 10:00 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय कैम्पस, जिला रायपुर (छ.ग.) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–**

क्र.	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rolrs & Responsibilities
1	Central Administrator	02 अनारक्षित	31450/– प्रतिमाह (लेवल–10)	45 वर्ष	• Any woman having a Masters in Law/ Social Work Sociology/Social Science/Psychology with at least 5 years" experience of working on women related relevant domains in an administrative set-up with a Government Government or Non-project/ programme and preferably with at least 1 year experience of counselling either within or outside the same set-up. • She should be preferably a resident of the local community so that local human resource and	• The Centre Administrator would be a woman with requisite qualification available at OSC She will be a residential staff attached to OSC • The Centre Administrator would be in charge of functioning of OSC. She would be the first point of contact with the woman who is accessing OSC • The Centre Administrator would interact with every woman seeking OSC's intervention for addressing violence. • The Centre Administrator will listen to the grievance, document the case history and register the case in the online/web-based case management system to generate a Unique Identity Number (UID).

					expertise is utilised for effective functioning of the centre.	• The Centre Administrator would be responsible for supervision of each case, taking it to a logical conclusion and later following up with the aggrieved woman. • As soon as the complaint is registered, the Centre Administrator will send a text message (SMS/Internet) to theDPO/PO/CDPO/SHO/ DM/SP/DYSP/CMO of the district in which the women is located at the time of accessing OSC. • The Centre Administrator would be responsible for coordination with all stakeholders (police station, hospital, legal aid, counselling), registration of cases in the absence of the IT Staff. • The Centre Administrator will consolidate a list of agencies/individuals providing/willing to provide legal/medical/psycho-social counselling services at OSC. • The Centre Administrator will coordinate with CBOs specialized in addressing violence against women, Gender Cells, Women's Study Centres at Universities to seek technical inputs in terms of traning and capacity building of women affected by violence. • The Centre Administrator will monitor the functioning of OSC, (including the work of the staff), facilitate capacity building, guide and support the team of caregivers. • The Centre Administrator would approve the quarterly report prepared by the IT Staff to be submitted to the Management Committee (MC) through Implementing Agency (IA). • The Centre Administrator would also document the case studies/success stories as per the prescribed format. • The Quarterly Report has to be submitted 15 days prior to the end of each Quarter. • The Centre Administrator will meet the MC on a monthly basis for guidance, support. • The footage of the CCTV would be under the vigilance of the Centre Administrator. • The Centre Administrators can design their own feedback forms for the purpose of Social Audit.

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

2. आयु सीमाः–

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
2. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा कर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
6. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. कोई भी महिला उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।
11. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
12. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
13. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
16. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा

सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

17. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
18. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यु/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
19. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि.15.07.2026 तक स्वीकार किए जाएगे।
20. कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
21. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
23. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
24. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. <u>**नियुक्ति प्रक्रियाः**–</u>सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में **वॉक–इन–इंटरव्यू** के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावें।

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक–इन–इंटरव्यू क दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.10 छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/ 1538/ सा/ 2024/ 50 दिनाक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र मे एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए होता है तो **वॉक–इन–इटरव्यू** के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।

3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।

3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक–इन–इटरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4. नियुक्ति की अवधिः–

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.5 चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.raipur.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

01/07/2026
(शैल ठाकुर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ. क/2536/मबावि./स्थापना शाखा/2026–27 **रायपुर, दिनांक 01/07/2026**

प्रतिलिपिः–

1. **संचालक**, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. **कलेक्टर** जिला रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।

01/07/2026
(शैल ठाकुर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
पूर्व में संचालित एवं अतिरिक्त "सखी" वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र मे होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला– रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदित सेवा का नाम :–..

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..
(अंग्रेजी में) ....

3. पिता/पति का नाम :–..

4. स्थायी पता :–..
....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :–..
....दूरभाष/मो.नं..............................

6. जन्मतिथि (अंको में) :–..
(शब्दो में) :–..

7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :–..

8. लिंग पुरूष/महिला :–..

9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति ....वर्ग.....................

10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? ....

11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :–..

12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :–..............................

13. शैक्षणिक योग्यताः–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :–...

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–..

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:–

1. जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10 वीं की अंकूसची योग्यतानुसार।
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकूसची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यकय का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1..2..3.................................

4..5..6.................................

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं नाम

//घोषणा पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:– ....

दिनांक:– ....

नोट : आवेदक नवा रायपुर केन्द्र / पूर्व में संचालित केन्द्र जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।